डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
मोहान रोड, लखनऊः 226 017 दूरभाष नं0–8004930056/0522-2999862/2998380/1/2/3294434 वेबसाइट http://dsmru.upnic.in

प्रेषक

कुलसचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

1. **कुलपति / अध्यक्ष**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2. **डॉ0 वन्दना सहगल**
एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्मेण्ट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, लखनऊ विश्वविद्यालय।

3. **डॉ0 प्रशान्त श्रीवास्तव**
प्रोफेसर,
लखनऊ विश्वविद्यालय।

4. **डॉ0 वर्षा श्रीकान्त गट्टू**
विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र,
अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई।

5. **प्रो0 अरूण मित्तल**
विभागाध्यक्ष, मेकेनिकल एण्ड इंजीनियरिंग विभाग
आई.ई.टी., डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ, (विशेष आमंत्री सदस्य)।

6. **प्रो0 वी.के.सिंह**
इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन एण्ड वर्ल्ड बैंक कोआर्डिनेटर, आई.ई.टी., डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ, (विशेष आमंत्री सदस्य)।

7. **निदेशक**
विकलांगजन विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8. **समस्त विभागाध्यक्ष**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

9. **डा0 अम्बिका प्रसाद तिवारी**
अधिष्ठाता शैक्षणिक एवं शैक्षणिक सलाहाकार (मा0 कुलपति), विश्वविद्यालय।

10. **डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह**
एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय।

11. **डॉ0 सौम्या शंकर**
असिस्टेण्ट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग, विश्वविद्यालय।

12. **कुलसचिव**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक : 1182/पत्रा0–568/डीएसएमएनआरयू/विद्यापरि0/तृतीय बैठक/2015–16 दिनांक 26.10.2015

विषयः–डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ विद्या–परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 03.10.2015 के कार्यवृत्त के प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ **विद्या–परिषद** की आहूत **'तृतीय बैठक''** दिनांक 03.10.2015 में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(बृजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (का0)

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
2. सहायक कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी / समस्त कार्यालय अधीक्षक।

(बृजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (का0)

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ

विद्या परिषद् – तृतीय बैठक

दिनांक 03 अक्टूबर, 2015

समय–मध्याह्न 12:00 बजे

–: स्थल :–

सभागार, पंचम तल, प्रशासनिक भवन

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

का

कार्यवृत्त

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

विद्या परिषद् की तृतीय बैठक

दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 हेतु एजेण्डा सूची

समय— 12.00 बजे मध्याहन
स्थान— सभागार, प्रथम तल प्रशासनिक भवन, विश्वविद्यालय।

कम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
3.1	दिनांक 02.03.2015 को सम्पन्न विद्या परिषद की द्वितीय–बैठक में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	1–3
3.2	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2015–16 के एकेडमिक कैलेण्डर पर अनुमोदन के सम्बन्ध	4
3.3	विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग विंग (फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी) की स्थापना के सम्बन्ध में।	5
3.4	दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी0एड0 विशेष शिक्षा (श्रवणबाधितार्थ, मानसिक मन्दितार्थ एवं दृष्टिबाधितार्थ) डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में।	6
3.5	विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकाय के अधीन बी.ए. / बी.कॉम / बी.एस.सी.विशेष शिक्षा इन्टीग्रेटेड / डिप्लोमा / पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रमों के आगामी सत्र 2016–17 से संचालन के सम्बन्ध में।	7
3.6	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये गये कॉलेज / संस्थाओं की सूची से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।	8
3.7	विश्वविद्यालय में विकलांगजन हेतु स्थापित कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र में BASLP (बैचलर इन आडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथलॉजी) एवं BPO (बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एण्ड ऑर्थोटिक्स) पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्रस्तावित पदों के साथ अतिरिक्त काउन्सलर के 04 पद सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।	9
3.8	विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान एवं समाज कार्य विभाग को तथा मनोविज्ञान एवं मानवशास्त्र विभाग को दो भागों में विभक्त करते हुए पृथक–पृथक विभाग सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।	10–11
3.9	शैक्षणिक सत्र 2015–16 में संचालित विभिन्न पाठ्यकमों एवं छात्रावास आदि हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।	12
3.10	कला एवं पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना के सम्बन्ध में।	13
3.11	शैक्षणिक सत्र 2015–16 में विधि संकायाधीन संचालित एलएल0एम0 पाठ्यक्रम के संचालन / पाठ्य–संरचना के सम्बन्ध में।	14
3.12	विश्वविद्यालय से नवीन कॉलेजों के सम्बद्धता हेतु नोशनल फैकल्टी एवं नोशनल विभाग के सृजन के सम्बन्ध में।	15
3.13	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अधीन नवीन विभागों के सृजन के सम्बन्ध में।	16
3.14	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।	17–18

(कुलसचिव)

(डॉ0 ...)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा ...

बिन्दु संख्याः 3.1

दिनांक 02.03.2015 को आहूत मा0 विद्या परिषद् की द्वितीय बैठक में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या

बिन्दु सं0	निर्णय	अनुपालन आख्या
2.1	दिनांक 13.10.2014 को सम्पन्न विद्या परिषद की प्रथम बैठक में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	विद्या परिषद की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या क्रमशः 1900 दिनांक 25.11.2215 तथा अनुपालन आख्या पत्र संख्या 2535 / पत्रासं0568 / डीएसएमएनआरयू / विद्यापरि / 2014–15 दिनांक 31.03.2015 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा निर्णयों / आख्या के सम्बन्ध में आपत्ति / असहमति व्यक्त नहीं की गई है। कृपया संज्ञानित / पुष्टि होना / करना चाहें।
2.2	नवीन शैक्षिक सत्र 2015–16 में प्रवेश प्रकिया निर्धारण के सम्बन्ध में। निर्णयः–विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रवेश समन्वयक शैक्षिक सत्र (2015–16) संबंधित विभागाध्यक्षों से परामर्श के उपरान्त विश्वविद्यालय में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2015–16 की प्रवेश प्रकिया के लिये आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के लिये विभागाध्यक्षों के अभिमत को निर्णयार्थ प्रस्तुत करेंगे। लिखित परीक्षा, शैक्षिक योग्यता एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित कुल 100 अंको में भारण हेतु किये गये अंको के निर्धारण में शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के भारांक प्रदान किये जायेंगे।	विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 2289 दिनांक 16.02.2015 द्वारा नामित प्रो0 डी0एन0 सिंह, प्रवेश समन्वयक, शैक्षणिक सत्र 2015–16 द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रकिया की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित / सुनिश्चित की गयी है।
2.3	विश्वविद्यालय द्वारा संस्थाओं की सम्बद्धता के सम्बन्ध में परिनियमावली में प्राविधान हेतु विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में संस्थाओं की सम्बद्धता विषयक अध्याय ग्यारह ए (CHAPTER-XI A) जोड़े जाने हेतु प्रस्तुत आलेख तथा आगामी सत्र से सम्बद्धता की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के संबंध में। निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	उक्त लिये गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की 15वीं बैठक में भी यथानुमोदित विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–5(2) में वर्णित व्यवस्था के अधीन वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2015–16) में सम्बद्धता विषयक जोड़े गये अध्याय–11–ए के अनुक्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन एवं विषय–विशेषज्ञों द्वारा अवधारित नीति निर्धारण / गाइड लाइन के अनुसार विश्वविद्यालय से 05 संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान की जा चुकी है जिसका एजेण्डा प्रस्ताव पृथक से अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। साथ ही अन्य आवेदित संस्थाओं द्वारा सम्बद्धता हेतु प्रेषित आवेदन के क्रम में चरणबद्ध कार्यवाही की जा रही है।
2.4	कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में। निर्णयः–विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	विश्वविद्यालय में स्थापित कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र का उद्घाटन–समारोह दिनांक 16 जून, 2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के कर–कमलों द्वारा किया गया था। उक्त आयोजित कार्यक्रम में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर एवं विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. के अनुसार कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों से आये विकलांग बन्धुओं को कृत्रिम अंगों / उपकरणों से पुनर्वासित / लाभान्वित किया जा रहा है।

कुलपति

2.5	शैक्षिक संवर्ग के पदों पर नवनियुक्त शिक्षकवृन्द के सम्बन्ध में। निर्णयः—विद्या परिषद द्वारा संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया ।	उक्त प्रस्ताव का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन किया गया। कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.6	विश्वविद्यालय में क्रियाशील एवं प्रस्तावित विभागों के सम्बन्ध में। निर्णयः—विद्या परिषद द्वारा संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया ।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में समस्त कियाशील एवं प्रस्तावित विभागों के अंतर्गत कम्प्यूटर एण्ड इन्फामेशन टेक्नालॉजी संकाय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय के साथ—साथ संगीत एवं ललित कला संकाय के अधीन विभिन्न नवीन डिप्लोमा/डिग्री/मास्टर डिग्री/शोध आदि समस्त पाठ्यकमों में एकेडमिक कलेण्डर में निर्धारित व्यवस्थानुसार पठन—पाठन/शिक्षण कार्य सम्पादित किया जा रहा है।
2.7	द्वितीय दीक्षान्त समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में। निर्णयः—विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।	उक्त निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय के द्वितीय—दीक्षान्त समारोह के आयोजन हेतु कार्यवाही प्रकियाधीन/की जा रही है।
2.8	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा—12(बी) के अन्तर्गत समावेशन के सम्बन्ध में। निर्णयः—विद्या परिषद प्रस्ताव से अवगत हुई।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.9	विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के अधीन फाइन आर्टस पाठ्यकमों के संचालन के सम्बन्ध में। निर्णयः—विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।	उक्त निर्णय के कम में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2015—16 में प्रस्तावित पाठ्यकमों की कार्यवाही/संचालन किया जा रहा है।
2.10	विधि संकाय में शैक्षिक/गैर—शैक्षिक संवर्ग में अतिरिक्त पदों का सृजन, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में अतिरिक्त पद सृजन तथा विश्वविद्यालय में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना व उससे सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में। निर्णयः—विधि संकाय में शैक्षिक/गैर—शैक्षिक संवर्ग में अतिरिक्त पदों का सृजन के संबंध में। (2) हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में अतिरिक्त पद सृजन के संबंध में। (3) विश्वविद्यालय में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना व उससे सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	उक्त प्रस्ताव के कम में विद्या परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि विधि संकाय में शैक्षिक/गैर—शैक्षिक संवर्ग में अतिरिक्त पदों का सृजन के संबंध में तथा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में अतिरिक्त पद सृजन के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही विश्वविद्यालय में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना व उससे सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में बी0ए0एस0एल0पी0 तथा बी0पी0ओ0 पाठ्यकमों का संचालन किया जा रहा है।
2.11	विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पाठ्यकम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में। निर्णयः—विद्या परिषद् द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विभिन्न मण्डलों में दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यकमों के संचालन हेतु मण्डलीय मुख्यालयों में अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त माध्यम से पाठ्यकमों के संचालन हेतु गठित समिति द्वारा इग्नू/कर्नाटक ओपेन यूनिवर्सिटी/कोटा मुक्त विश्वविद्यालय आदि का अध्ययन कर एक्शन प्लान के साथ—साथ स्वयं अध्ययन सामग्री तैयार कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।	उक्त लिये गये निर्णय के अनुपालन में यथापेक्षित कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में कार्यपरिषद की 15वीं बैठक में नियामक संस्था से इस संबंध में प्राप्त दिशा—निर्देश के कम में अध्ययन सामग्री एवं कार्ययोजना हेतु गठित समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
2.12	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु। (क) विश्वविद्यालय में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका दिखाये जाने हेतु दर निर्धारित किये जाने के सम्बंध में।	एलएल0एम0 पाठ्यकम का वर्तमान शैक्षणिक 2015—16 में संचालन के साथ—साथ माननीय कुलपति महोदय द्वारा अन्य बिन्दुओं पर लिये गये निर्णयों का अनुपालन/तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

निर्णयः—विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकायें दिखाये जाने हेतु शुल्क रू0 50/—प्रति प्रश्न पत्र निर्धारित किया गया।

(ख) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में उठाये गये अन्य बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद द्वारा निम्नलिखित अन्य निर्णय भी लिये गये हैं—

1. विधि विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा विधि पाठ्यक्रमों के अंतर्गत एल.एल.एम. पाठ्यक्रम के नियमित एवं स्ववित्तपोषित कार्यक्रम आगामी सत्र से प्रारम्भ/संचालन हेतु निर्णय लिया गया कि विधि विभाग द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मानक के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

2. विद्यार्थियों हेतु एजूकेशनल टूर की व्यवस्था हेतु विभागवार कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाय।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के कम में पर्यावरण अध्ययन विषय विश्वविद्यालय द्वारा समस्त स्नातक स्तरीय पाठ्यकमों में लागू हैं। उक्त पाठ्यकम को आगामी सत्र 2015—16 में तृतीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण करना होगा तथा पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उक्त परीक्षा माह जुलाई, 2015 में सम्पन्न करा ली जाय।

4. विद्यार्थियों में अंग्रेजी में सुगमता से वार्तालाप एवं व्यक्तित्व विकास हेतु अंग्रेजी की विशेष कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ कराया जाय।

निर्णयः—मा0 विद्या परिषद द्वारा विद्या परिषद की द्वितीय बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

(बृजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (का0)
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

(डॉ. निशीथ राय)
कुलपति
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्याः 3.2

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2015–16 के एकेडमिक कैलेण्डर पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

Tentative Dates First Semester	Activity	Tentative Dates Second Semester
16th Jul 2015	Commencement of the Session	13th Jan 2016
21st Jul 2015	Orientation Program	16th Jan.2016
12th -17th Oct 2015	Mid-Sem Unit Test	16th -22nd Mar 2016
30th -31st Oct 2015	Games, Sports & Athletic Meet	29th -30th Mar 2016
31st Oct 2015	Announcement of Semester Exam Schedule	31st Mar 2016
18th -19th Nov 2015	Cultural Event	1st -2nd April 2016
27th -28th Nov 2015	Faculty Feedback	18th -19th April 2016
3rd Dec 2015	World Disability Day	---------
4th Dec 2015	Concluding Class	2nd May 2016
8th -21st Dec 2015	Semester End Exam	7th -20th May 2016
22nd -24th Dec 2015	Practical Exam	23rd -25th May 2016
25th Dec 2015-14th Jan 2016	Break for Students Winter Summer	26th May-14th July 2016
--------------	International Day of Yoga	21st June 2016
5th Jan 2016	Semester Examination Result Declaration	30th Jun 2016

कृपया उपरोक्तानुसार अवलोकनोपरान्त एकेडमिक–कलेण्डर पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–मा0 विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(सुरेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (का0)
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

(डॉ. निशीथ राय)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा

बिन्दु संख्याः 3.3

विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग विंग (फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी) की स्थापना के सम्बन्ध में।

डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में की गयी। इस विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य एक बाधारहित वातावरण में समेकित शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के द्वारा निःशक्तजनों का सशक्तिकरण कर उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में जोड़ना है। वर्तमान में कला, वाणिज्य, विशेष शिक्षा, विधि, संगीत एव ललित कला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकायों के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय अपने अभीष्ट लक्ष्य की सिद्धि में निरन्तर कटिबद्ध है।

उपरोक्त संदर्श में, विश्वविद्यालय का सुविचारित मत है कि निःशक्तजनों के सशक्तिकरण हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि उन्हें तकनीकी शिक्षा का अवसर प्रदान कर उनकी रोजगारपरकता को बढ़ाया जाय जिससे वे आत्मनिर्भर बनें तथा राष्ट्रीय विकास में भी अपना योगदान दे सकें। ध्यातव्य है कि अभी तक प्रदेश में पूर्णतया बाधारहित वातावरण में निःशक्त छात्र–छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं है। अतः बाधारहित वातावरण से सुसज्जित इस विश्वविद्यालय में समावेशी तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से "इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी संकाय" की स्थापना तार्किक एवं न्यायसंगत प्रतीत होती है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति एवं इस संबंध में शासन द्वारा की गई अपेक्षा के कम में विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत प्रस्ताव (परिशिष्ट–01) जिसमें विश्वविद्यालय में उपलब्ध भवन–अवस्थापना सुविधाओं का ही उपयोग करते हुए प्रस्तावित संकाय के अधीन भिन्न रूपेण समर्थ विद्यार्थियों के हितार्थ आगामी सत्र 2016–17 से सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स व कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग, तथा कम्प्यूटर साइन्स एन्ड इंजीनियरिंग में बी0टेक पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाने प्रस्तावित हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार विस्तृत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में "इंजीनियरिंग विंग (फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी)" की स्थापना एवं प्रस्तावित संकाय के अधीन भिन्न रूपेण समर्थ विद्यार्थियों के हितार्थ आगामी सत्र 2016–17 से सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स व कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग, तथा कम्प्यूटर साइन्स एन्ड इंजीनियरिंग में बी0टेक पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाने हेतु अपेक्षित शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मियों के पदों का सृजन एवं अन्य आवश्यक संसाधन की यथापेक्षित कार्यवाही हेतु विद्या परिषद अनुमोदन/अनुमति प्रदान करना चाहें।

निर्णयः– मा0 विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(बृजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (का0)
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

(डॉ. निशीथ राय)
कुलपति

बिन्दु संख्या: ८.

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी0एड0 विशेष शिक्षा (श्रवणबाधितार्थ, मानसिक मंदितार्थ एवं दृष्टिबाधितार्थ) डिग्री पाठ्यकमों के संचालन के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय में दिनांक 07.09.2015 को भ्रमण पर आये भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के सदस्य सचिव की माननीय कुलपति महोदय एवं अधिष्ठाता (शैक्षणिक) तथा अधिष्ठाता, विशेष शिक्षा संकाय के साथ हुई बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त विशेष शिक्षा की विभिन्न श्रेणियों के पाठ्यकमों के दूरस्थ शिक्षा पद्धति से संचालन हेतु विचार–विमर्श एवं प्रस्तुतीकरण के परिप्रेक्ष्य में विशेष शिक्षा के B.Ed (HI, VI & MR) पाठ्यकमों के संचालन हेतु परामर्श दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा एवं विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के पठन–पाठन हेतु शिक्षण सामग्री एवं अन्य आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता तथा शिक्षकों की नियुक्ति के साथ–साथ विशेष शिक्षक एवं गेस्ट फेकल्टी के माध्यम से सूचीबद्ध किये गये विषय–विशेषज्ञ/शिक्षकवृन्द की भी समुचित व्यवस्था है। उक्त पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु आवेदकों के अत्यधिक रूझान भी प्राप्त होते हैं परन्तु उक्त पाठ्यकमों में निर्धारित सीट के सापेक्ष प्रवेश प्रदान करने के उपरान्त अधिकांश अभ्यर्थी/आवेदक उक्त पाठ्यकमों के शिक्षण/प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत् रखते हुए विश्वविद्यालय में विद्या परिषद तथा कार्य परिषद की 15वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या–15.10 में दूरस्थ शिक्षा पद्धति से पाठ्यकमों के संचालन हेतु लिये गये निर्णयों के अनुपालन तथा आयोग/नियामक संस्था की सहमति/अनुमोदन की अनिवार्यता के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा पद्धति से विशेष शिक्षा के B.Ed (HI, VI & MR) पाठ्यकमों के संचालन हेतु 500 सीटों की इनटेक कैपेसिटी के साथ पाठ्यकमों के संचालन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली को कार्यालय के पत्र संख्या 1056 दिनांक 28.09.2015 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है एवं उक्त पद्धति से पाठ्यकमों के संचालन हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु गठित समिति को उपलब्ध कराया जा चुका है।

कृपया विद्या परिषद उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–मा0 विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(बृजेन्द्र सिंह) कुलसचिव (कार्य) डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ	(डॉ0 निशीथ राय) कुलपति डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्या: 3.5

विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकाय के अधीन बी.ए./बी.कॉम/बी.एससी.बी0एड0(विशेष शिक्षा) इन्टीग्रेटेड/डिप्लोमा/पोस्ट–ग्रेजुएट डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों के आगामी सत्र 2016–17 से संचालन के सम्बन्ध में।

भारतीय पुनर्वास परिषद की वेबसाइट पर आगामी शैक्षणिक सत्र 2016–17 में नवीन पाठ्यक्रमों के आवेदन ऑन–लाइन सबमिशन हेतु अपलोड विज्ञप्ति/गाइड–लाइन के अनुसार विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र 2016–17 में विशेष शिक्षा संकाय के अधीन निम्नानुसार तालिकाबद्ध प्रस्तावित 05 नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु लिये गये निर्णय एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुमोदन की अनिवार्यता के कम में पाठ्यक्रमों के प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर ऑन लाइन सबमिशन के उपरान्त उक्त 05 आवेदन प्रस्तावों की हार्ड कॉपी को वांछित संलग्नकों के साथ–साथ अनिवार्य एवं निर्धारित प्रोसेसिंग/निरीक्षण शुल्क के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली को अनुमोदनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

S No.	Course Name	Status of On line Propoasal	**On line Proposal ID No.**
1	B.A./B.Com./B.Sc.B.Ed.Spl.Education **(Integrated Course)**	On-Line Fresh Proposal of Approval-Academic Session:2016-17	15270515401002
2	Bachelor of Education in Special Education Learning Disability **(B.Ed.Spl.Ed.LD)**		15270505401002
3	Bachelor of Education in Special Education-Multiple Disability **(B.Ed.Spl.Ed.MD)**		15270506401002
4	Diploma in Hearing Aid Repair and Ear Mould Technology **(DHAREMT)**		15270504201001
5	Post Graduate Diploma Course in Auditory Verbal Therapy **(PGDAVT)**	Of-Line (On-lIne-NA) Fresh Proposal of Approval-Academic Session:2016-17	

कृपया विद्या परिषद विश्वविद्यालय में आगामी सत्र 2016–17 से उपरोक्तानुसार विशेष शिक्षा संकाय के अधीन बी.ए./बी.कॉम/बी.एससी.–(बी0एड0) विशेष शिक्षा इन्टीग्रेटेड कोर्स/डिप्लोमा/पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों के भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुमोदनोपरान्त संचालन हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णय:–मा0 विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(सुरेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (प्रभारी)
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

(डॉ. निशीथ राय)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्याः 3.6

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये गये कॉलेज/संस्थानों की सूची से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 5(2) में विश्वविद्यालय में निहित शक्तियों एवं कृत्य के अधीन महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु वर्णित व्यवस्था तथा विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्/कार्य परिषद् में लिये गये संगत निर्णय के क्रम में यू0जी0सी0/आर0सी0आई0 एवं उ0प्र0 राज्य सरकार के मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा अवधारित नीति निर्धारण/नियम शर्तों के आलोक्य में माननीय कुलपति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में सत्र 2015–16 से डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर निर्धारित शुल्क सहित अब तक 90 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

उपर्युक्तानुसार आवेदित संस्थाओं द्वारा प्रेषित किये गये आवेदन में सम्बद्धता की अर्हता की पात्रता हेतु प्रथम चरण में विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा संगत अभिलेखों एवं सूचनाओं के परीक्षणोपरान्त संस्थाओं के निरीक्षण हेतु गठित निरीक्षण पैनल द्वारा प्रस्तुत की गई निरीक्षण रिपोर्ट के अनुक्रम में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्बद्धता समिति के सदस्यों एवं निरीक्षण पैनल के सदस्यों के साथ दिनांक 05.08.2015 को आयोजित बैठक में सम्बद्धता सम्बन्धी निरीक्षण मण्डल की रिपोर्ट पर चर्चा के उपरान्त विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 15वीं बैठक में जिन 05 संस्थाओं को सत्र 2015–16 के लिये अस्थायी सम्बद्धता (01 वर्षीय) सशर्त प्रदान किये जाने का निर्णय/अनुमोदन प्रदान किया गया है, वे निम्नवत् हैं :–

1. कल्याणम् करोति, मथुरा।
2. ग्रामोदय सेवा संस्थान, मुसाफिरखाना, अमेठी।
3. बलराम महाविद्यालय, मेजा, इलाहाबाद।
4. प्रमिला कटियार, स्पेशल एजूकेशन इन्स्टीट्यूट, कानपुर देहात।
5. सिटीजन गर्ल्स कॉलेज, नैनी, इलाहाबाद।

भविष्य में विश्वविद्यालय से कॉलेजों/संस्थानों को सम्बद्धता के निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये जाने पर मा0 कुलपति जी को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अधिकृत किए जाने के प्रस्ताव पर भी कार्यपरिषद की 15वीं बैठक में अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

कृपया विद्या परिषद् उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः– मा0 विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(बृजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (का0)
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

(डॉ. निशीथ राय)
कुलपति

बिन्दु संख्याः 3.7

विश्वविद्यालय में विकलांगजन हेतु स्थापित कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र में BASLP (बैचलर इन आडियोलॉजी एण्ड स्पीच लेंग्वेज पैथालॉजी) एवं BPO (बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एण्ड ऑर्थोटिक्स) पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्रस्तावित पदों के साथ अतिरिक्त काउन्सलर के 04 पद सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक 12 फरवरी, 2015 को मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा विश्वविद्यालय में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की घोषणा की गयी थी, जिसके उपरान्त मा0 मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 16 जून, 2015 को विश्वविद्यालय में उक्त केन्द्र की स्थापना हो चुकी है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रसारित पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने हेतु पाठ्यक्रम के मानकानुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में पृथक से पदों का सृजन किये जाने का उल्लेख है। चूंकि विश्वविद्यालय की स्थापना निःशक्तजनों को उच्च शिक्षा प्रदान करते हुए समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के उद्देश्य से की गई है, जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय में स्थापित उक्त के केन्द्र के माध्यम से विकलांगता से सम्बन्धित विशेष शिक्षा के BASLP (Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology), एवं BPO (Bachelor in Prosthetics and Orthotics) पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु कार्यशाला की स्थापना के लिये प्रथम चरण में न्यूनतम् आवश्यक पदों का सृजन किये जाने पर कार्यपरिषद की चौदहवीं बैठक के बिन्दु सं0 14.9 में एवं विद्या परिषद की द्वितीय बैठक के बिन्दु सं0–2.10 में भी अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की कार्यशाला/वर्कशाप पर विकलांगजनों की मनःस्थिति एवं उनके विकारों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का आकलन एवं तद्नुसार उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु काउन्सलर की नितान्त आवश्यकता होती है, ऐसे पद प्रदेश में स्थित किंग जार्ज मेडिकल मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ के पुनर्वास एवं कृत्रिम अंग केन्द्र (ALRC) में सृजित है। कार्यपरिषद की चौदहवीं बैठक के प्रस्ताव सं0 14.9 में उक्त काउन्सलर के 04 पद कतिपय कारणों से छूट गये थे, अतः पूर्व के प्रस्तावित पदों के साथ वर्कशाप/कार्यशाला में काउन्सलर के 04 पद वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200 को भी सम्मिलित करते हुए सृजित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत् प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

कृपया विद्या परिषद विश्वविद्यालय में विकलांगजन हेतु स्थापित कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र में BASLP (बैचलर इन आडियोलॉजी एण्ड स्पीच लेंग्वेज पैथालॉजी) एवं BPO (बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एण्ड ऑर्थोटिक्स) पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्रस्तावित पदों के साथ अतिरिक्त काउन्सलर के 04 पद सृजन किये किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–मा0 विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः 3.8

विश्वविद्यालय में ''समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान व समाज कार्य विभाग'' को विभक्त करते हुए दो पृथक–पृथक विभागों ''समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान विभाग'' तथा ''समाज कार्य विभाग'' एवं ''मनोविज्ञान एवं मानवशास्त्र विभाग'' को विभक्त करते हुए दो पृथक–पृथक विभागों ''मनोविज्ञान विभाग'' तथा मानवशास्त्र विभाग'' को सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के पदों के सृजन शासनादेश सं. 2983/65–2–2008–57 (विविध)/2008 विकलांग जन विकास अनुभाग–2 दिनांक 30.12.2008 के माध्यम से कुल 29 विभागों का सृजन करते हुए समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य विभाग तथा मनोविज्ञान एवं मानवशास्त्र विभाग की स्थापना की गई है जिसमें समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य विभाग के अन्तर्गत प्रोफेसर का 01 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 02 एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर के 04 पद सृजित हैं इसी प्रकार 'मनोविज्ञान एवं मानवशास्त्र विभाग' के अन्तर्गत प्रोफेसर का 01 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 02 पद एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर के 02 पदों का सृजन किया गया है। परन्तु विगत वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा–12 बी के अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में क्रियाशील 11 विभागों में यू0जी0सी0 के मानकानुसार पदों के सृजन हेतु कतिपय अक्रियाशील विभाग के पदों को आस्थगित करते हुए हस्तान्तरित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 62/डी0एस–609/65–3–2014–07(वि0वि0)/2009 दिनांक 22.07.2014 द्वारा मनोविज्ञान एवं मानवशास्त्र विभाग के अन्तर्गत सृजित पदों में से निम्नानुसार पदों के स्थानान्तरण किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है :--

पदनाम	शा0सं0 2983/65–2–2008–57 (विविध)/2008 दि0 30.12.2008	शा0सं0 62/डी0एस–609/65–3–2014–07(वि0वि0)/2009 दि0 22.07.2014 द्वारा आस्थगित पद के उपरान्त शेष रह गये पद
प्रोफेसर	01	01
एसोसिएट प्रोफेसर	02	01
असिस्टेण्ट प्रोफेसर	02	01

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विषय एवं मानवशास्त्र विषय को सम्मिलित करते हुए मनोविज्ञान एवं मानवशास्त्र विभाग का 01 विभाग सृजित किया गया है, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान विभाग पृथक एवं मानवशास्त्र विभाग पृथक रूप से सृजित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकानुसार इस विभाग के संचालित होने से पाठ्यक्रमों में भी भिन्नता होगी। अतएव निर्देशानुसार इस विभाग को 02 विभागों में विभक्त करते हुए निम्नानुसार विभागों के नाम के अनुसार विभाग का सृजन किया जाना प्रस्तावित है –

मनोविज्ञान विभाग				
पदनाम	पूर्व में पद सृजित	वर्तमान में प्रस्तावित पद	यू.जी.सी. के मानकानुसार पद की आवश्यकता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)
प्रोफेसर	01	00	01	
एसोसिएट प्रोफेसर	01	01	02	
असिस्टेण्ट प्रोफेसर	01	03	04	
मानवशास्त्र विभाग				
प्रोफेसर	00	01	01	
एसोसिएट प्रोफेसर	00	02	02	
असिस्टेण्ट प्रोफेसर	00	04	04	

अतः मनोविज्ञान विभाग हेतु कॉलम–3 के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर का 01 पद एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर के 03 पद तथा मानवशास्त्र विभाग हेतु प्रोफेसर का 01 पद, एसोसिएट प्रोफेसर का 02 एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर के 04 पद की यू0जी0सी0 के मानकानुसार अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य विभाग में निम्नानुसार पदों का सृजन किया गया है :–

पदनाम	शा0 सं. 2983/65–2–2008–57(विविध)/2008 दि0 30.12.2008	शा0 सं0 62/डी0एस–609/65–3 –2014 –07 (वि0वि0)/2009 दि0 22.07.2014 द्वारा सम्मिलित किये गये पद	विभाग में कुल स्वीकृत पद
प्रोफेसर	01	01	02
एसोसिएट प्रोफेसर	02	02	04
असिस्टेण्ट प्रोफेसर	04	02	06

इस सम्बन्ध में यहाँ पर भी संज्ञानित कराना है कि विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य विभाग विभाग का एक विभाग सृजित किया गया है जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान विभाग पृथक एवं समाज कार्य विभाग पृथक रूप से सृजित हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकानुसार इस विभाग के संचालित होने से पाठ्यक्रमों में भी भिन्नता होगी। अतएव इस विभाग को 02 विभागों में विभक्त करते हुए निम्नानुसार विभागों के नाम के अनुसार यू.जी.सी. के मानकानुसार विभाग का सृजन किया जाना प्रस्तावित है :–

समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान विभाग				
पदनाम	पूर्व में पद सृजित	वर्तमान में प्रस्तावित पद	यू.जी.सी. के मानकानुसार पद की आवश्यकता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)
प्रोफेसर	01	00	01	वर्तमान में क्रियाशील
एसोसिएट प्रोफेसर	02	00	02	
असिस्टेण्ट प्रोफेसर	03	01	04	
समाज कार्य विभाग				
प्रोफेसर	01	00	01	वर्तमान में क्रियाशील
एसोसिएट प्रोफेसर	02	00	02	
असिस्टेण्ट प्रोफेसर	03	01	04	

तदनुसार समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान विभाग हेतु यू0जी0सी0 के मानकानुसार असिस्टेण्ट प्रोफेसर का 01 पद एवं समाज कार्य विभाग में असिस्टेण्ट प्रोफेसर का 01 पद अतिरिक्त सृजित किये जाने की आवश्यकता है।

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के मानकानुसार विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य विभाग को 02 भागों में विभक्त करते हुए समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान विभाग एवं पृथक से समाज कार्य विभाग का सृजन इसी प्रकार मनोविज्ञान एवं मानवशास्त्र विभाग 02 भागों में विभक्त करते हुए मनोविज्ञान विभाग एवं पृथक से मानवशास्त्र विभाग का सृजन किया जाना है। इस सम्बन्ध में कार्य–परिषद द्वारा तत्संबंधित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

कृपया विद्या परिषद् उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः– मा0 विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(बृजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (कार्य0)
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

(डॉ. निशीथ राय)
कुलपति
डा0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्याः 3.9

शैक्षणिक सत्र 2015–16 में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं छात्रावास आदि हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2015–16 में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों/हास्टल/अन्य शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णण/अनुमोदन के कम में कार्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय–ज्ञाप पत्रांक–603/प0सं0–179/फीसनिर्धारण/डी0एस0एम0एन0आर0यू0/2015–16 दिनांक 16 जुलाई, 2015, पत्रांक–651/प0सं0–179/फीस निर्धारण/डी0एस0एम0एन0आर0यू0/ 2015–16 दिनांक 25 जुलाई, 2015, पत्रांक–683/प0सं0–179/फीस–निर्धारण/डी0एस0एम0 एन0आर0यू0/2015–16 दिनांक 30 जुलाई, 2015, पत्रांक–727/प0सं0–560/बी0कॉम/ डी0एस0एम0एन0आर0यू0/2015–16 दिनांक 16 जुलाई, 2015 एवं पत्रांक–670/पत्रा0सं0–749/डी0एस0एम0एन0आर0यू0/प्रवेश प्रक्रिया/2015–16 दिनांक 27 जुलाई, 2015 के सम्बन्ध में कार्य परिषद की 15वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या–08 पर अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। साथ ही भविष्य में सचांलित होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं अन्य शुल्क के निर्धारण हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किए जाने के प्रस्ताव पर भी कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कृपया विद्या परिषद प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहे।

निर्णयः–मा0 विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुलसचिव (का0)
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्याः 3.10

विश्वविद्यालय में "कला एवं पुरातत्व संग्रहालय" की स्थापना के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में कला एवं पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की जानी है संग्रहालय की स्थापना के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को भेजा जा रहा है। विभाग में किये जा रहे शोध कार्य के फलस्वरूप प्राप्त पुरावशेषों एवं कलाकृतियों का प्रदर्शन इस संग्रहालय में किया जाना प्रस्तावित है। लखनऊ के स्वाधीनता संग्राम एवं पुरातत्व से सम्बन्धित विवरण भी संग्रहालय में संरक्षित किया जाना है। इसके साथ ही मनुष्य के प्रारम्भिक काल से ऐतिहासिक काल तक के उपकरणों, पुरावशेषों एवं कला कृतियों के संग्रह की योजना है। यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा जनपद चित्रकूट में उत्खनन कार्य प्रस्तावित है। ऐसे स्थलों से प्राप्त पुरावशेषों को भी संग्रहालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं पर्यटकों के दर्शनार्थ संरक्षित किया जायेगा। यह संग्रहालय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक, स्नात्कोत्तर एवं शोध विद्यार्थियों के साथ–साथ सामान्य दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध होगा।

कृपया विद्या परिषद उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए इतिहास विभाग में प्रस्तावित "कला एवं पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना" हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः—मा0 विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(नृपेन्द्र मिश्र)
कुलसचिव (का0)
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्याः 3.11

शैक्षणिक सत्र 2015–16 में विधि संकायाधीन एलएल0एम0 पाठ्यक्रम संचालन/पाठ्य संरचना के संबंध में।

विश्वविद्यालय में विधि संकायाधीन विधि विभाग के अन्तर्गत बॉर काउंसिल ऑफ इण्डिया से प्रदत्त अनुमोदनोपरान्त पॉच वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम–बी0कॉम0एलएल0बी0 का संचालन सत्र 2014–15 से किया जा रहा है। विद्या परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 02.03.2015 के एजेण्डा बिन्दु सं0 2.12 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2015–16 में 20 इनटेक कैपेसिटी के साथ एलएल0एम0 पाठ्यक्रम का संचालन भी प्रारम्भ किया जा चुका है।

उक्त पाठ्यक्रम के संचालन के क्रम में यह भी संज्ञानित होना चाहें कि विधि संकाय के अन्तर्गत गठित विभागीय अध्ययन मण्डल (BoS) की बैठक में एलएल0एम0 (एक वर्षीय) पाठ्यक्रम के संचालन के साथ–साथ यू0जी0सी0 द्वारा अनिवार्य **"सेन्टर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लिगल स्टडीज"** की संरचना, पाठ्य संरचना तथा उक्त पाठ्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक पुस्तकालय विकास तथा अन्य आवश्यक संरचना हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्शोपरान्त विभागीय अध्ययन मण्डल (BoS) के सदस्यों द्वारा संस्तुति की गई तथा 01 वर्षीय एलएल0एम0 (नियमित) डिग्री पाठ्यक्रम की पाठ्य संरचना का भी निर्धारण किया गया।

कृपया विद्या परिषद उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–मा0 विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(बृजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (का0)
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 निशीथ राय)
कुलपति

बिन्दु संख्याः 3.12

विश्वविद्यालय से नवीन कॉलेजों के सम्बद्धता हेतु नोशनल फैकल्टी एवं नोशनल विभाग के सृजन के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमावली तथा विद्या परिषद एवं कार्यपरिषद के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा मार्च 2015 से संस्थाओं की सम्बद्धता का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। विषय–विशेषज्ञों एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु नियमावली को तैयार कराकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करा दिया गया है जिसके कम में अब–तक लगभग 100 आवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त हो चुके हैं जिसमें से 05 महाविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं को बी0एड0 विशेष शिक्षा की विभिन्न विधाओं में आर0सी0आई0 के अनुमोदनोपरान्त सम्बद्धता प्रदान कर दी गई है शेष पर कार्यवाही एन0ओ0सी0/सम्बद्धता हेतु प्रकियाधीन है। इस कार्य से विश्वविद्यालय के आन्तरिक आय–स्रोत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा विशेष शिक्षा के प्रचार–प्रसार में गति आई है। सम्बद्धता से संबंधित आवेदनों के परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि ऐसे पाठ्यकम हैं जो विश्वविद्यालय की किसी फैकल्टी द्वारा संचालित नहीं हैं जिसके कारण नोशनल संकाय एवं विभाग का सृजन किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। भविष्य में नोशनल संकाय एवं नोशनल विभाग किय्राशील हो जायेंगे। विश्वविद्यालयों की यह परिपाटी है कि यदि किसी विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यकम को सम्बद्धता देने के लिये कियाशील फैकल्टी/विभाग नहीं है तो ऐसे में नोशनल संकाय/विभाग सृजित करके सम्बद्धता प्रदान की जाती है। उदाहराणार्थ एवं दृष्टान्त के लिये डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, वीर बहादुर सिंह, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, पं0 दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर आदि में सम्बन्धित पाठ्यकमों की सम्बद्धता हेतु नोशनल संकाय/विभाग सृजित करके सम्बद्धता प्रदान की जाती है। उपरोक्त के संदर्भ में इस विश्वविद्यालय को विस्तृत रूप प्रदान करने तथा प्रदेश स्तर पर निःशक्त छात्रों हेतु विज्ञान, तकनीकी, मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग इत्यादि में अध्ययन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नोशनल विभागों का सृजन/कियाशील करके विभिन्न प्रकार के कॉलेजों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। यदि कोई संस्थान नैत्यिक पाठ्यकम के अतिरिक्त आर0सी0आई0 द्वारा अनुमोदित किसी पाठ्यकम को संचालित करता है तो उस कॉलेज को सम्बद्धता इस विश्वविद्यालय से दिये जाने का अधिनियम में प्राविधान है। विश्वविद्यालय अधिनियम में वर्णित व्यवस्था के अनुसार इस विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मे निहित है।

उपरोक्त को दृष्टिगत् रखते हुए निम्नानुसार विभागों/संकायों के सृजन किये जाने का प्रस्ताव हैः–

1. Faculty of Pharmacy
2. Faculty of Architecture
3. Faculty of Fashion Technology
4. Faculty of Medicine & Surgery
5. Faculty of Dental Surgery
6. Faculty of Ayurveda
7. Faculty of Homeopathic Medicines
8. Faculty of Unani Medicines
9. Faculty of Agriculture
10. Faculty of Nursing

कृपया विद्या परिषद उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–मा0 विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(बृजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (का0)
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्याः 3.14

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु

(1). विश्वविद्यालय में कार्यरत् गैर पी–एच.डी. धारक शिक्षकों के साथ–साथ कर्मचारियों/शिक्षकों के आश्रितों को पी–एच.डी. प्रवेश में आरक्षण प्रदान किये जाने के संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णयः–

क) बैठक में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में पी–एच.डी. अध्यादेश–2014 के अन्तर्गत समस्त स्टाफ एवं उनके प्रतिपाल्य के लिये 10 प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में बैठक में स्टाफ के प्रतिपाल्य के रूप में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में पी–एच.डी. हेतु स्टाफ के पति–पत्नी एवं पुत्र/पुत्री को ही आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के अतिरिक्त किसी भी सम्बन्धी को स्टाफ वार्ड के आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने एवं विश्वविद्यालय के पी–एच.डी. अध्यादेश–2014 में यथापेक्षित संशोधन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि शिक्षकवृन्द की शैक्षिक योग्यता में शोध–उपाधि प्राप्त करने की विशेष महत्ता एवं उनके करियर एडवांसमेण्ट, पदोन्नति इत्यादि में पी–एच.डी. का महत्वपूर्ण योगदान है। बैठक में इस विषय पर विचार–विमर्श हुआ कि इस विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षकवृन्द जो पी–एच.डी. धारक नहीं हैं, को इस विश्वविद्यालय में शोध–उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित सीटों के सापेक्ष अतिरिक्त सीट पर प्रवेश का प्राविधान किया जा सकता है।

उपरोक्त पर विचार–विमर्श के उपरान्त मा0 विद्या परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षकगण जिन्होंने पी–एच.डी. की उपाधि प्राप्त नहीं की है तथा इस हेतु वे इच्छुक हैं, उनको विश्वविद्यालय में ही संबंधित विभागों में पी–एच.डी. की निर्धारित सीट के अतिरिक्त सीट का प्राविधान कर इनरोल कर दिया जाये। साथ ही उक्त प्रावधान को विश्वविद्यालय के पी–एच.डी. अधिनियम में संशोधन कराकर सम्मिलित करा लिया जाय।

ख) उपरोक्त के अतिरिक्त यू.जी.सी. एवं सी.एस.आई.आर. के जे.आर.एफ./गेट/नेट/स्लेट/एम.फिल. धारक तथा सेवारत् अधिकारी एवं ख्यातिलब्ध विशेषज्ञ, जिनका पी–एच.डी. शोध कार्य विश्वविद्यालय एवं समाज के उन्नयन तथा नीति–नियोजन में उपयोगी हो, को पी–एच.डी. में अतिरिक्त सीट का प्राविधान कर सीधे प्रवेश प्रदान करने हेतु कुलपति को अधिकृत किए जाने का मा0 विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया।

(2). विश्वविद्यालय में विकलांगजन/अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी कराये जाने के लिये विश्वविद्यालय में "कोचिंग सेण्टर" खोले जाने के सम्बन्ध मे।

निर्णयः–

बैठक में अवगत करया गया कि विश्वविद्यालय में विकलांगजन/अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी कराये जाने के लिये विश्वविद्यालय में "कोचिंग सेण्टर" खोले जाने के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। मा0 विद्या परिषद् द्वारा उक्त से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(3). विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को विकलांगता से संबंधित विषयों में प्रशिक्षित किये जाने हेतु स्पेशल "एकेडमिक स्टाफ कॉलेज" की स्थापना के सम्बन्ध में।

निर्णयः–

बैठक में अवगत करया गया कि विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को विकलांगता से संबंधित विषयों में प्रशिक्षित किये जाने हेतु "स्पेशल एकेडमिक स्टाफ कॉलेज" की स्थापना के सम्बन्ध में

(बृजेन्द्र सिंह)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। मा0 विद्या परिषद् द्वारा उक्त से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(4). **विश्वविद्यालय में कक्षा छः से इण्टरमीडिएट तक की कक्षाओं के संचालन हेतु "मॉडल स्कूल" की स्थापना के सम्बन्ध में।**

निर्णयः--

बैठक में अवगत करया गया कि विश्वविद्यालय में कक्षा 06 से इण्टरमीडिएट तक की कक्षाओं के संचालन हेतु "मॉडल स्कूल" की स्थापना के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय पर मा0 कार्यपरिषद द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। मा0 विद्या परिषद् द्वारा उक्त से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(5). **विशेष शिक्षा संकाय के अंतर्गत विश्वविद्यालय में संचालित सेण्टर फॉर इण्डियन साइन लैंग्वेज एण्ड डेफ स्टडीज द्वारा आयोजित किये जाने वाले द्विवर्षीय प्री–डिग्री कोर्स (सी.आई.एस.एल.डी.एस. तथा पी.डी.सी.डी.) के संचालन के सम्बन्ध में।**

निर्णयः–

बैठक में अवगत करया गया कि बधिर विद्यार्थियों की शिक्षा की आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुए विश्वविद्यालय में संचालित सेण्टर फॉर इण्डियन साइन लैंग्वेज एण्ड डेफ स्टडीज द्वारा इण्टरमीडिएट के समकक्ष द्विवर्षीय प्री–डिग्री कोर्स (सी.आई.एस.एल.डी.एस. तथा पी.डी.सी.डी.) के संचालन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। मा0 विद्या परिषद् द्वारा उक्त से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(6). **विश्वविद्यालय में प्रस्तावित द्वितीय दीक्षान्त समारोह में "मानद–उपाधि" तथा विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की उपाधि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः–

बैठक में अवगत करया गया कि विश्वविद्यालय में प्रस्तावित द्वितीय दीक्षान्त समारोह के साथ–साथ भविष्य में भी आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में "मानद–उपाधि" तथा विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की उपाधि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 15वीं बैठक में माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया है। मा0 विद्या परिषद् द्वारा उक्त से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(7) **विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर बुद्धिष्ट स्टडीज़ की स्थापना के सम्बन्ध में।**

निर्णयः–

बैठक में विश्वविद्यालय में पालि भाषा/साहित्य तथा बौद्ध दर्शन पर पठन्–पाठन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत मा0 विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर बुद्धिष्ट स्टडीज़ की स्थापना के तर्काधार को समावेशित करते हुए वृहद प्रस्ताव तैयार कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को यथापेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जाए।

(बृजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव (का0)
[illegible] शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
[illegible] विश्वविद्यालय, लखनऊ

(8). शैक्षिक संवर्ग के पदों पर नवनियुक्त शिक्षकवृन्द एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग के पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विश्वविद्यालय में शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत प्रकाशित विज्ञापन संख्या 19/भर्ती/वि0वि0/2014–15 दिनांक 16 फरवरी, 2015 एवं विज्ञापन संख्या 20/भर्ती/वि0वि0/2015–16 दिनांक 12 जून, 2015 द्वारा विभिन्न विभागों के शिक्षकवृन्द एवं गैर–शैक्षिक सवंर्ग के आयोजित साक्षात्कार के उपरान्त साक्षात्कार/चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर नियुक्त किये गये शिक्षकवृन्द एवं गैर–शैक्षिक कार्मिक की सूची पर मा0 विद्या परिषद द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

(डॉ. निशीथ राय)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ